न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3 / 41 / 2022	06.05.2022	12.05.2022

बउनवान

1–आसीन खां पुत्र सप्पू खां जाति मेव निवासी ग्राम उपलाबास सिरमोली तहसील व जिला अलवर, राजस्थान

––प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

–– अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से आराजी खसरा नम्बर 1425 रकबा 80 ऐयर वाके ग्राम सिरमौली प्रार्थी द्वारा हरीराम भार्गव पुत्र श्री बिशम्भर दयाल भार्गव जाति भार्गव निवासी बिलौची का कुआं, केडलगंज शहर अलवर राजस्थान से रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा दिनांक 16.04.2001 को खरीद की हुई हैं। उपरोक्त रजिस्टर्ड बयनामे में प्रार्थी कां सहबन से घरेलू नाम काला पुत्र सप्पू खां दर्ज हो गया हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम आसीन पुत्र सप्पू खां निवासी ग्राम उपलाबास, सिरमौली हैं तथा उक्त रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 154 में भी प्रार्थी का नाम काला पुत्र सप्पू खां दर्ज हो गया है तथा इसी के आधार पर प्रार्थी का हाल जमाबंदी में भी नाम काला पुत्र सप्पू खां अंकित हो गया है। प्रार्थी ने जब के सी सी कार्ड के लिये बैंक में आवेदन किया तो उसे जानकारी हुई कि उसकी जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड मे उसका नाम सहबन से काला पुत्र सप्पू खां अंकित हो गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र सप्पू खां हैं जो कि प्रार्थी के स्थानांतरण प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड तथा राशनकार्ड इत्यादि दस्तावेजात में दर्ज हैं। जिस कारण प्रार्थी को नाम हाल जमाबंदी में व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर आसीन खां पुत्र सप्पू खां अंकित किया जाना आवश्यक है जिस हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधित कर आसीन खां पुत्र पप्पू खां अंकित किये जाने के आदेश उपपजीयक बहादुरपुर जिला अलवर को सादिर फरमाये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर